मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/29/3468 भोपाल दिनांक 07/11/2020

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/
रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर।

कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल संभाग क्रमांक–02 तकनीकी संभाग भोपाल /इंदौर /उज्जैन /जबलपुर / ग्वालियर /सागर /रीवा /होशंगाबाद /सिवनी /मुरैना/ खरगोन/मंदसोर।

विषय :– मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण पश्चात् एरियर्स का भुगतान।

संदर्भ :– म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8–1/2016/नियम/चार दिनांक 22 जुलाई–2017 तथा म. प्र. शासन वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक एफ 8–1/2018/नियम/चार दिनांक 01 मई –2019

म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1386/8–5/2020/नियम/चार दिनांक 04 नवम्बर–2020 के द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत (सातवें वेतनमान) एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि नियमानुसार कटोत्रा पश्चात् नगद भुगतान नवम्बर में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। उक्त ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त ज्ञाप दिनांक 04.11.2020 के अनुसार मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत (सातवें वेतनमान) एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त की राशि के 25 प्रतिशत राशि नियमानुसार कटोत्रा पश्चात् नगद भुगतान एवं सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि खाते में नवम्बर में जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

7.11.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/29/3469 भोपाल दिनांक 07/11/2020

प्रतिलिपि :–

1– अपर संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2– उप संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

7.11.20
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

c:\users\acer\desktop\jain\vinodia kiran account releted\da\da letter.doc

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्र. एफ 1386/8-5/2020/नियम/चार भोपाल,दिनांक 04/नवम्बर/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाधीश,
मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण पश्चात एरियर्स का भुगतान।

संदर्भः- (1) पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल, दि. 22-07-2017
(2) पत्र क्रमांक एफ 8-1/2017/नियम/चार, भोपाल, दि. 24-04-2018
(3) पत्र क्र. एफ 8-1/2018/ नियम/चार, भोपाल, दि. 15 मई 2020
(4) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 7/वि.स.उप.चु./2020/अनुमति 8671 भोपाल दिनांक 2.11.2020

****

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत हुए वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि का नगद भुगतान आदेश क्रमांक पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल, दि. 22-07-2017 के संदर्भित पैरा 16 अनुसार तीन समान वार्षिक किश्तों में करने के निर्णय अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान क्रमशः दिनांक 01 मई 2018 एवं दिनांक 01 मई 2019 में किया जा चुका है । वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24-4-2018 के अनुसार एरियर्स का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	50% नगद भुगतान 50% प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि/ विभागीय भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी ।	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी	प्रथम एवं द्वितीय किश्त की देय राशि सामान्य भविष्य निधि में जमा की जायेगी।

2. कोविड 19 की आपदा के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से दिनांक 1 मई 2020 को देय तृतीय तथा अंतिम किश्त के भुगतान को आदेश दिनांक 15 मई 2020 से स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।
3. प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त की राशि के 25 प्रतिशत राशि नियमानुसार कटोत्रे पश्चात नगद भुगतान माह नवम्बर में किया जाये।
4. राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता सदस्यों को देय राशि का अंशदाता तथा शासन के नियमानुसार अंशदान उपरान्त देय राशि का नकद भुगतान किया जाए।
5. तृतीय एवं अंतिम किश्त की शेष देय राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय पृथक से लिया जायेगा।
6. कृपया उपर्यक्त अनुसार सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत करावें।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ 1387/8-5//2020/नियम/चार भोपाल,दिनांक 04/नवम्बर/2020

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में।

7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल कृपया सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था सूनिश्चित करें ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
12. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
13. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
14. सदस्य सचिव, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर जवाहर चौक भोपाल
15. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
16. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी म.प्र.
17. मध्यप्रेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
18. सहायक संचालक/प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय भोपाल।
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

04/11/2020

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग